रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1985/चैत्र 4, 1907
No. 27] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1985/CHAITRA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1985

आ. अ. 84(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य में 43-बारामती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित इसकी तारीख 15 अक्टूबर, 1984 को

अधिसूचना संख्या 434/महा./84(2) में निम्नलिखित संशोधन करने का निदेश देता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मौजूदा प्रविष्टि "3, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी सं. 11, पूना," और "4. विशेष भूमि अर्जन अधिकारी सं. 21, पूना" के लिए "3. उप-कलक्टर (ई. जी. एस.), पूना कलक्टरेट, पूना" और "4. विशेष भूमि अर्जन अधिकारी सं. 9, पूना, शिवाजीनगर, पूना-5" प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[संख्या 434/महा./84(2)]

आदेश से,

वी. के. राव, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1985

O.N. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 434|MT|84(2), dated the 15th October, 1984; relating to the appointment of Assistant Returning Officers for 43-Baramati parliamentary constituency in the State of Maharashtra, namely:—

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entries "3. Special Acquisition Officer No. 11, Pune" and "4. Special Land Acquisition Officer No. 21, Pune", the entries "3. Deputy Collector (E.G.S.), Pune, Collectorate Pune" and "4. Special Land Acquisition Officer No. 9, Pune, Shivajinagar, Pune 5" shall respectively be substituted.

[No. 434|MT|84(2)]

By Order,

V. K. RAO, Secy. to the Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985